

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी-बांदा

पत्रांक:-सी0एम0ओ0/एन.एच.एम./आशा चयन/2022-23/1432

दिनांक 03.03.2023

1. अधीक्षक, सामु0स्वा0के0-जसपुरा, नरैनी, बबेरु।

2. प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0के0-महुआ, बडोखर खुर्द, कमासिन, तिंदवारी, विसण्डा

विषय- आशाओं के रिक्त पदों पर आशा चयन कराने के सम्बन्ध के सम्बन्ध में।

दिनांक 22.02.2023 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्पु.प्रो./लिमिटेड रिलीज/2022-23/130/7590 दिनांक 12.01.2023 के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित आशाओं के पद रिक्त हैं जिन्हे चयन किया जाना है चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में शासनादेश संख्या 1656/पांच-10-13-एफ-75/13 दिनांक 04 मार्च 2014 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार दिनांक 22.03.2023 के पूर्व चयन कराना सुनिश्चित करें (ग्राम सभा बैठक तिथि की सूचना बैठक से 2 दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी प्रेषित करें) तथा ग्राम सभा की खुली बैठक की फोटोग्राफ्स एवं वीडियो भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें, स्वीकृत पदों की संख्या के अलावा कोई भी अन्य चयन न करें अन्यथा कि स्थिति में आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

क.सं.	ब्लाक का नाम	गांव का नाम	जनसंख्या	कुल कार्यरत आशाओं की सं०	चयन हेतु अनुमोदित आशाओं की संख्या
1	बबेरु	हरदौली	11442	7	2
2	बबेरु	बरौली आजम	2378	1	1
3	बबेरु	पेस्टा	4365	3	1
4	बबेरु	पून	3212	1	2
5	बबेरु	सिमौनी	5931	4	2
6	बबेरु	अधांव	4641	3	1
7	बबेरु	परास	3451	2	1
8	बबेरु	अनवान	2765	2	1
9	बबेरु	अरमार	2736	1	1
10	बबेरु	ब्योंजा	4576	2	1
11	बबेरु	औगासी	4477	3	1
12	बबेरु	मर्का	11455	10	1
13	बबेरु	पतवन	7721	6	1
	योग बबेरु			55	16
14	नरैनी	जोगियन पुरवा	1200	0	1
15	नरैनी	रानीपुर	1300	0	1
16	नरैनी	दुबरिया	1100	0	1
17	नरैनी	उसरापुरवा	900	0	1
18	नरैनी	भवानीपुर	900	0	1
19	नरैनी	खलारी	1200	0	1
20	नरैनी	मानपुर बरसडा	1800	1	1

21	नरैनी	कटरा भारतपुर पहाडी	800	0	1
22	नरैनी	कल्यानपुर	4000	2	1
23	नरैनी	रंजीतपुर	1900	1	1
24	नरैनी	महोतरा	1700	0	1
25	नरैनी	कंदौरा	1400	0	1
26	नरैनी	सढा	8000	5	1
27	नरैनी	जरैला	1000	0	1
	योग नरैनी			09	14
28	बिसण्डा	उतरवां	5386	3	2
29	बिसण्डा	ओरन ग्रामीण	8363	7	1
30	बिसण्डा	कोरही	11653	7	2
31	बिसण्डा	कैरी उसरा पुरवा	900	0	1
32	बिसण्डा	भदेहदू	4858	3	1
	योग बिसण्डा			20	07
33	कमासिन	मुसीवा	5000	2	1
34	कमासिन	खरौली	3200	2	1
35	कमासिन	बुढौली	1600	7	1
36	कमासिन	सतन्धाव	4000	3	1
37	कमासिन	गुरौली	1200	0	1
38	कमासिन	इटर्रा	3000	2	1
	योग कमासिन			16	06
39	जसपुरा	गडरिया	12100	5	2
40	जसपुरा	रामपुर	10000	6	2
41	जसपुरा	झंझरी पुरवा	8500	4	1
42	जसपुरा	नरजिता	5000	3	1
43	जसपुरा	इछावर	5000	2	1
	योग जसपुरा			20	07
44	महुआ	चकतकुली (अधरौरी)	1000	0	1
45	महुआ	दफाई (पैगम्बरपुर)	1100	0	1
46	महुआ	शिवपुर (पनगरा)	1050	0	1
47	महुआ	गौर (पनगरा)	1010	0	1
48	महुआ	मोतियारी	6000	2	2
49	महुआ	सदल का पुरवा(मुरवां)	1000	0	1

50	महुआ	कयोटरा (काजीपुर)	1000		
51	महुआ	जमापुर (गिरवां)		0	
52	महुआ	गुमाई	1000	0	1
	योग महुआ		4000	2	1
53	तिन्दवारी	भुजौली		4	1
54	तिन्दवारी	पदारथपुर	2200	1	10
55	तिन्दवारी	लौगर	3200	2	1
56	तिन्दवारी	सादीमदनपुर	4000	3	1
57	तिन्दवारी	बरेठी कला	12000	5	1
58	तिन्दवारी	गोधनी	2400	1	1
59	तिन्दवारी	सिंधौटी	3200	2	1
60	तिन्दवारी	महुई	2200	1	1
	योग तिन्दवारी		2200	1	1
				16	
61	बडोखर	जमालपुर			08
62	बडोखर	कतरावल	5800	3	1
63	बडोखर	पचनेही	4500	1	2
64	बडोखर	कनवारा	7500	4	1
65	बडोखर	पथरी	6000	5	1
66	बडोखर	गोयरा मुगली	3500	1	1
67	बडोखर	हटेटीपुरवा	8500	3	1
68	बडोखर	अरबई	8500	3	2
69	बडोखर	अरबई	3400	1	1
69	बडोखर	मनका	1200	0	1
70	बडोखर	खैरादा	3500	1	1
	योग बडोखर खुर्द			22	12
		योग			80

शासनादेश संख्या 1656/पांच-10-13-एफ-75/13 दिनांक 04 मार्च 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियमतः चयन कराना सुनिश्चित करें शासनादेश के इतर अगर कोई भी चयन किया जाता है तो स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

आशा चयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

1. लगभग एक हजार की आबादी पर एक आशा जो उसी गांव की स्थायी निवासी हो।
2. प्राथमिकता के आधार पर विवाहित/विधवा/तलाकशुदा महिला जिसकी आयु 25 से 40 वर्ष हो
3. कक्षा 8 तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो तथा संवाद पटुता नेतृत्व क्षमता एवं समुदाय से बेहतर तालमेल स्थापित करने के गुण हों।

- कमजोर एवं वंचित वर्गों (अनूसूचित जाति, जन जाति/अल्प संख्यक महिला मुखिया वाले परिवार अत्यन्त निर्धन परिवार भूमिहीन, मजदूरी करने वाले परिवार इत्यादि) पलायन करके दूसरे क्षेत्रों से आने वाले परिवार, गांव के दूरस्थ भागों एवं बसाहटों में रहने वाले परिवार इत्यादि से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये ताकि इन वर्गों तक बेहतर सुविधाओं की पहुंच बने।
- स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित आबादी के समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

आशा चयन प्रक्रिया-

- रिक्तियों की सूची सभी आवश्यक अर्हताओं चयन प्रक्रिया तथा चयन हेतु निर्धारित समय-सीमा के साथ ब्लॉक, तहसील एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। साथ ही जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाये।
- बी.पी.एच.सी./सी.एच.सी. की जिम्मेदारी होगी कि आशा चयन की सूचना का सघन प्रचार-प्रसार, आशा मासिक बैठक अस्पतालों पर सूचना चस्पा कर एवं आशा संगिनी, आंगनवाड़ी तथा ए०एन०एम० एवं सी.एच.ओ. के माध्यम से करवाया जाये। आंगनवाड़ी केन्द्रों स्वास्थ्य उपकेन्द्रों गांव में उपलब्ध जन सूचना पट्ट, पंचायत भवन, स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के सूचनापटों पर नवीन आशा चयन हेतु सूचना एवं आवश्यक अर्हताएं चस्पा की जायं।
- ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहां आशा का चयन निर्धारित किया गया हो डुग्गी पिटवाकर प्रचार-प्रसार कराये जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके।
- नोडल अधिकारी-अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. आशा चयन की प्रक्रिया में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
- ए०एन०एम० समुदाय में जाकर चिन्हित समूह/स्थानीय स्वयं सेवी समूह में जाकर चर्चा-परिचर्चा करेगी तथा समुदाय को आशा की भूमिका/उत्तरदायित्व/ समुदाय स्वीकार्यता आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करेगी।
- ए०एन०एम० अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आवेदकों को सूचीबद्ध करेगी तत्पश्चात् उपर्युक्त चयन मानकों के अनुसार सर्वोत्तम तीन अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा चयनित तीन नामों में से एक नाम ग्राम सभा की खुली बैठक में सर्वाधिक योग्यता के आधार पर अनुमोदित किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठक जिसमें एक नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जायेगा इसके कार्यवृत्त को अन्ततः ग्राम पंचायत द्वारा ब्लॉक नोडल अधिकारी (अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा। इसके पश्चात् ग्राम स्वास्थ्य समिति आशा के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी।

आशा चयन के मानक-

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. कक्षा 8 पास | 10 अंक। |
| 2. कक्षा 10 पास अथवा इससे अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त | 2 अंक अतिरिक्त। |
| 3. विचार-विमर्श की क्षमता, संवाद क्षमता एवं नेतृत्व क्षमता | 2 अंक |
| 4. तलाकशुदा/विधवा अभ्यर्थी | 1 अंक अतिरिक्त। |
| | कुल योग 15 अंक |

क्र. सं.	गांव का नाम	आवेदक का नाम	पति का नाम	योग्यता	श्रेणी (Category)	शैक्षिक योग्यता का विवरण (अंक तालिका)	मूल्यांकन का विवरण	चयनित आशा का नाम	टिप्पणी

4. कमजोर एवं वंचित वर्गों (अनूसूचित जाति, जन जाति/अल्प संख्यक महिला मुखिया वाले परिवार अत्यन्त निर्धन परिवार भूमिहीन, मजदूरी करने वाले परिवार इत्यादि) पलायन करके दूसरे क्षेत्रों से आने वाले परिवार, गांव के दूरस्थ भागों एवं बसाहटों में रहने वाले परिवार इत्यादि से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये ताकि इन वर्गों तक बेहतर सुविधाओं की पहुंच बने।
5. स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित आबादी के समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

आशा चयन प्रक्रिया-

1. रिक्तियों की सूची सभी आवश्यक अर्हताओं चयन प्रक्रिया तथा चयन हेतु निर्धारित समय-सीमा के साथ ब्लाक, तहसील एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। साथ ही जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाये।
2. बी.पी.एच.सी./सी.एच.सी. की जिम्मेदारी होगी कि आशा चयन की सूचना का सघन प्रचार-प्रसार, आशा मासिक बैठक अस्पतालों पर सूचना चस्पा कर एवं आशा संगिनी, आंगनवाडी तथा ए०एन०एम० एवं सी.एच.ओ. के माध्यम से करवाया जाये। आंगनवाडी केन्द्रों स्वास्थ्य उपकेन्द्रों गांव में उपलब्ध जन सूचना पट्ट, पंचायत भवन, स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के सूचनापटों पर नवीन आशा चयन हेतु सूचना एवं आवश्यक अर्हताएं चस्पा की जायं।
3. ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहां आशा का चयन निर्धारित किया गया हो डुग्गी पिटवाकर प्रचार-प्रसार कराये जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके।
4. नोडल अधिकारी-अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. आशा चयन की प्रक्रिया में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
5. ए०एन०एम० समुदाय में जाकर चिन्हित समूह/स्थानीय स्वयं सेवी समूह में जाकर चर्चा-परिचर्चा करेगी तथा समुदाय को आशा की भूमिका/उत्तरदायित्व/ समुदाय स्वीकार्यता आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करेगी।
6. ए०एन०एम० अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आवेदकों को सूचीबद्ध करेगी तत्पश्चात् उपर्युक्त चयन मानकों के अनुसार सर्वोत्तम तीन अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा चयनित तीन नामों में से एक नाम ग्राम सभा की खुली बैठक में सर्वाधिक योग्यता के आधार पर अनुमोदित किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठक जिसमें एक नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जायेगा इसके कार्यवृत्त को अन्ततः ग्राम पंचायत द्वारा ब्लाक नोडल अधिकारी (अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा। इसके पश्चात् ग्राम स्वास्थ्य समिति आशा के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी।

आशा चयन के मानक-

1. कक्षा 8 पास 10 अंक।
2. कक्षा 10 पास अथवा इससे अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त 2 अंक अतिरिक्त।
3. विचार-विमर्श की क्षमता, संवाद क्षमता एवं नेतृत्व क्षमता 2 अंक
4. तलाकशुदा/विधवा अभ्यर्थी 1 अंक अतिरिक्त।

कुल योग

15 अंक

क्र. सं.	गांव का नाम	आवेदक का नाम	पति का नाम	योग्यता	श्रेणी (Category)	शैक्षिक योग्यता का विवरण (अंक तालिका)	मूल्यांकन का विवरण	चयनित आशा का नाम	टिप्पणी

					कक्षा 8 पास	कक्षा 10 पास अथवा अधिक शैक्षिक योग्यता	विचार-वि मर्श/संवा द एवं नेतृत्व क्षमता	तलाक- शुदा/ विधवा	प्रा- तां क		

हस्ताक्षर बी.पी.एम./बी.सी.पी.एम./एच.एस.
सामु०/प्रा०स्वा०के० का नाम

हस्ताक्षर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी
सामु०/प्रा०स्वा०के० का नाम

1. ग्रामसभा कार्यवाही कार्यवृत्त।
2. आशाओं के आवेदन पत्र की छाया प्रति।
3. आशा की शैक्षिक योग्यता के अभिलेखों की छायाप्रति।
4. चयनित आशा का अनुबन्ध पत्र (वी०एच०एस०एन०सी० द्वारा सम्पादित)
5. चयन सम्बन्धी अपनायी गयी अन्य प्रक्रिया की सूचना।

(डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा।
दिनांक 03.03.2023

पत्रांक:-सी०एम०ओ०/एन.एच.एम./आशा चयन/2022-23/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मिशन निदेशक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 18 ए.पी. सेन मार्ग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बांदा।
3. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी-आर.सी.एच.।
4. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी।
4. डी.पी.एम.-डी.पी.एम.यू.एन.एच.एम.-बांदा।
5. सम्बन्धित बी.पी.एम./बी.सी.पी.एम. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित करते हुए तथा ए.एन.एम. तथा सी०एच०ओ० के सहयोग से ग्राम सभा की खुली बैठक में आशा चयन कराना सुनिश्चित करें।

(डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा।